ग्राम पंचायत कुलज्यार, विकास खण्ड झण्डूता, तह• झण्डूता, जिला बिलासपुर, हि• प्र• के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018

भाग–एक

1 **प्रस्तावना (क):–**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, कुलज्यार, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्रीमति सलोचना देवी	01.04.2015 से 22.01.2016
2	श्री कमल देव	23.01.2016 से 31.03.2018

सचिव :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्रीमति बबीता देवी	01.04.2015 से 16.02.2017
2	श्री महेन्द्र कुमार	17.02.2017 से 31.03.2018

तकनीकी सहायक :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री बलबीर सिंह	01.04.2015 से 31.03.2018

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री दिनेश कुमार	01.04.2015 से 31.03.2018

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:– ग्राम पंचायत कुलज्यार, विकास खण्ड झण्डूता जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र•	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	13	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.12
2	14	अनुदान की राशि का अवरोधन	34.21
3	15	पंचायत घर में लोहे के ग्रिल व कैंची गेट को लगवाने में अधिक व अनियमित भुगतान	0.13
3	16	बिना उचित बिलों के किया गया संदिग्ध व्यय	2.69
4	17	निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टाक स्टोर का क्रय करना	3.90
5	26	भूमि सुधार के निर्माण कार्य के निष्पादन में किया गया संभावित गवन	0.79

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत, कुलज्यार, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर के अवधि 1.4. 2015 से 31.3.2018 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी तथा श्री पुनीत शर्मा, आर्टीकल सहायक द्वारा दिनांक 23/05/2018 से 26/05/2018 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 10/2015, 03/2017, 05/2017 व 06/2015, 03/2017, 05/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत, कुलज्यार, विकास खण्ड झण्डूता, जिला बिलासपुर के अवधि 1.4. 2015 से 31.3.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7,200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/– 115 दिनांक 25/05/2018 द्वारा पंचायत सचिव से

अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि हि. प्र. रा. स. बैंक शाहतलाई के मल्टीसिटि चैक संख्या 841970 दिनांक 25–05–2018 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति :–

पंचायत सचिव् द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2015 से 03/2018 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथषेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तषेष (कॉलम 4×5)
1	2	3	4	5	6
2015–16	1621245	1696129	3317374	1894229	1423145
2016–17	1423145	5528342	6951487	3248543	3702944
2017–18	3702944	5398619	9101563	5680538	3421025

वित्तीय स्थिति पर अंकेक्षण टिप्पणियां:–

1. चूंकि ग्राम पंचायत, कुलज्यार, द्वारा रोकड़ बहियों में नियमानुसार अन्तशेषों की गणना नहीं की गई है और न ही बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाती है अतः वित्तीय स्थिति हेतु आरम्भिक शेष बैंक खातों के आधार पर लिए गए हैं।
2. ग्राम पंचायत, कुलज्यार, द्वारा नरेगा तथा हरियाली परियोजना के अतिरिक्त समस्त आय व्यय का लेखांकन खाता ''क व ख'' की संयुक्त रोकड़ बही में ही किया जा रहा है परन्तु इससे सम्बधित लैजर तथा वर्गीकृत सार का अनुरक्षण नहीं किया गया है। इस कारण से पंचायत के स्व–स्त्रोतों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति तैयार नहीं की जा सकी है।
3. लैजर तथा वर्गीकृत सार के अभाव में स्व–स्त्रोतों का पूर्ण विवरण तैयार करना व इसकी विस्तृत जांच करना सम्भव नहीं हो पाया है। अंकेक्षणावधि में स्व–स्त्रोतों से सम्बन्धित मात्र उन्हीं अंकड़ों की परख की गई है जो कि पंचायत द्वारा खाता ''क व ख'' की संयुक्त रोकड़ बही में दर्ज किए गए थे।

5 बैंक समाधान विवरणी:–

ग्राम पंचायत, कुलज्यार की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03. 2018 के ₹34,21025 के अन्तशेष तथा बैंक खातों में जमा राशि से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी **(परिशिष्ट ''2'')** निम्नानुसार है:–

क्र	खाता	अन्त शेष (₹)
	रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थितिः–	
1	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4)	3421025

बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः–

	विवरण	बैंक	खाता	
1	खाता 'क' व 'ख'	हि•प्र•रा•स•बैंक शाहतलाई	11710104010	117406
2		हि•प्र•रा•स•बैंक शाहतलाई	11710105153	1828736
3		हि•प्र•रा•स•बैंक शाहतलाई	11710106102	2492
4	14 वां वितायोग	हि•प्र•रा•स•बैंक शाहतलाई	11710110046	1248361
5	आई डबल्यू एम पी	हि•प्र•रा•स•बैंक शाहतलाई	8152	141873
	आई डबल्यू एम पी लाभार्थी अंशदान	हि•प्र•रा•स•बैंक शाहतलाई	8134	82442
9	इन्दिरा आवास योजना	हि•प्र•रा•स•बैंक शाहतलाई	11710107634	0
10	राजीव/अटल आवास योजना	हि•प्र•रा•स•बैंक शाहतलाई	11710107632	2098
11	नरेगा	प•ने• बैंक कुलज्यार	6162	0
12	खाता 'क' व 'ख' की संयुक्त रोकड़ बही में दर्शाया गया हस्तगत शेषः			94
कुल योग (ख):				**<u>3423502</u>**

बैंक समाधान विवरणीः–

रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेषः– 3421025

जमाः–

1. दिनांक 22.03.2018 को रोकड़ बही के पृष्ठ 10 पर दर्ज ₹2500 खाता संख्या 5153 का चैक स. 841955 को दिनांक 31.03.2018 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया हैः– 2500

2. 14 वाँ वितायोग रोकड़ बही के पृष्ठ 3 दिनांक 31.03.2018 को पर दर्ज ₹14 का व्यय दर्ज किया गया है जो कि वास्तव में बैंक पास बुक के अनुसार मात्र ₹7 है, अतः अधिक दर्ज किया गया व्ययः– 7

उपरोक्त दो मदों को जमा करने के पश्चात रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2018 का संशोधित/समायोजित अन्तशेषः– 3423532

1. 14 वाँ वितायोग रोकड़ बही के पृष्ठ 1 दिनांक 08.08.2017 को पर श्रीमति बबली देवी को दिनांक 01.06.2017 को मस्ट्रौल सं. 1 में 12 दिनों के कार्य हेतू ₹210 की दर से देय दर्ज ₹2520 का भुगतान किया गया है परन्तु इसके विरूद्ध बैक द्वारा पंचायत के खाता सं. 11710110046 में दिनांक 29.09.2017 को चैक सं. 841357 से ₹2550 का आहरण दर्ज किया गया है। अतः अधिक दर्ज भुगतानः– 30

उपरोक्त मद को घटाने के पश्चात रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2018 का संशोधित/समायोजित अन्तशेषः– 3423502

पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2018 का अन्तशेषः– 3423502

अन्तरः– शून्य

6 पंचायत निधि के खाता 'क' का संचालन न करनाः–

ग्राम पंचायत कुलज्यार के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में हि• प्र• रा• स• बैं• की शाहतलाई शाखा में खाता संख्या 11710104010 पंचायत निधि के लिए खाता 'क' खोल तो लिया गया है परन्तु इसमें किसी भी प्रकार का लेनदेन नहीं किया जाता है। पंचायत द्वारा इस खाते का संचालन करने के स्थान पर स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय को हि• प्र• रा• स• बैं• की शाहतलाई शाखा में खाता संख्या 11710105153 जो कि पंचायत निधि का खाता 'ख' है में जमा करवाया जाता है। यह नियमविरूद्ध कार्यप्रणाली क्यों तथा किसके निर्देशों से अपनाई गई है के बारे में अंकेक्षण को कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 नियमविरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारेः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में तीन अलग – अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर अनुरक्षित इन तीन रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य के लिए

इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

8 लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार न किये जाने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन नियमों की अनुपालना उचित तरीके से नहीं की गई है। प्रत्येक योजना के लिए लैजर बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा उपलब्ध अन्तशेष की जानकारी की उपलब्धता है। ग्राम पंचायत कुलज्यार द्वारा लैजर तो बनाए गए हैं परन्तु इन्हें परियोजना विशेष के स्थान पर निर्माण कार्य विशेष के आधार पर ''निर्माण कार्य रजिस्टर'' (Works Register) की तरह तैयार किया गया है जो कि अनुचित है तथा इन लैजर खातों को अनुरक्षित करने के उद्देश्य को पूर्ण नहीं करता है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) तथा रोकड़ बही के लिए इन नियमों में प्रावधित ''प्रारूप–5'' के आरम्भ में दी गई टिप्पणी के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु ग्राम पंचायत कुलज्यार के लेखाओं की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

10 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक भाग आय तथा दूसरा भाग व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा ब्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण

के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ ही आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

11 नियमानुसार निवेश न करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

12 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

13 पंचायत राजस्व की ₹0.12 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

पंचायत सचिव़ द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2018 तक पंचायत के राजस्व की ₹11,510 की वसूली हेतु शेष थी।

1. गृहकर : पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2015—16 में 438, 2016—17 में 442 व 2017—18 में 450 परिवार, दर ₹10 प्रति परिवार प्रतिवर्षः—

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015—16	0.00	4380.00	4380.00	1790.00	2590.00
2016—17	2590.00	4420.00	7010.00	0.00	7010.00
2017—18	7010.00	4500.00	11510.00	0.00	11510.00

14 अनुदान ₹34.21 लाख का उपयोग न करनाः—

पंचायत सचिव़ द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट—1** पर संलग्न है के अनुसार दिनांक 31—03—2018 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹34,21,025 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

15 पंचायत घर में लोहे के ग्रिल व कैंची गेट को लगवाने में ₹0.13 लाख का अधिक व अनियमित भुगतानः—

ग्राम पंचायत, कुलज्यार के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पंचायत निधि खाता ''ख'' की रोकड़ बही के पृष्ठ 123 पर दिनांक 07.11.2015 को वाउचर क्रमांक 25 से कुल ₹47000 का भुगतान पंचायत घर में लोहे के ग्रिल व कैंची गेट लगवाने हेतु मै• विश्वकर्मा वैल्डिंग वर्क्स घराण, तह. झण्डूता जिला बिलासपुर के पक्ष में दर्ज किया गया है। इस कार्य के विरूद्ध आपूर्तीकर्ता के बिल क्रमांक 271 दिनांक 28.10.2015 में निम्न विवरण दर्ज किया गया हैः—

क्र	विवरण	राशि
1	कैंची गेट	16471
2	ऐंगल (ग्रिल हेतु)	18444
3	पाईप	3000
4	फैंसी बेल (सजावटी बेल)	1080
5	जाली	6100
6	ढुलाई माल भाड़ा	750
7	फिटिंग लेबर	2000
	कुल योग	**₹47845**

यह कार्य पंचायत द्वारा निविदाएं अमन्त्रित करके करवाया गया है जिसमें उपरोक्त आपूर्तीकर्ता की स्वीकृत निविदा में निम्न लिखित विवरण दिया गया था:–

''श्रीमान जी मैं निम्न दरों पर आपको कैंची गेट ₹70, ग्रिल ₹58 दरों पर तैयार करके दे सकते हैं। कृप्या सेवा का मौका दें। – सुभाष चन्द (हस्ताक्षरकर्ता)''।

निविदा के उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इस कार्य के लिए मात्र तैयार व नियत स्थान पर स्थापित कैची गेट हेतु ₹70 प्रति किलोग्राम तथा तैयार व नियत स्थान पर स्थापित ग्रिल हेतु ₹58 प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान किया जाना अपेक्षित था। चूंकि बिल के उपरोक्त विवरण के क्रमांक 3 से 7 पर दी गई मदों का कोई भी ब्यौरा मूल निविदा में नहीं दिया गया था अतः इनके लिए किया गया कुल ₹12850 का भुगतान सर्वथा अनियमित है। अतः इस बारे में उचित व तथ्यपरक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए अथवा इस अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 बिना उचित बिलों के किया गया ₹2.69 लाख का संदिग्ध व्ययः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत कुलज्यार के अंकेक्षणावधि के चयनित माह तथा अन्य प्रस्तुत अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि रोकड़ बहियों में दर्ज ₹2,68,925 के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के उचित आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	वाउचर सं.	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता आई.डबल्यू.एम.पी. रोकड़ बही:–				
1	04.04.15	35	01	रेत, बजरी, पत्थर व ईंटें	22225
2	04.04.15	35	04	ईंटें	15050
3	04.04.15	35	05	रेत, बजरी, पत्थर	14000
4	01.06.15	37	10	ईंटें	35000
5	29.06.15	38	11	पत्थर	35000
6	29.06.15	38	12	पत्थर	33600
8	22.08.15	39	17	पत्थर	28000
9	22.0815	39	18	पत्थर	21000
10	22.0815	39	19	पत्थर	21000
11	22.07.17	46	5	निर्माण सामग्री	44050
				कुल योग	**₹268925**

इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, अथवा कम्पयूटर पर टाइप किए अथवा हस्तलिखित बिल/प्रार्थना पत्र पर ही बड़ी बड़ी राशियों का भुगतान करते हुए आपूर्तीकर्ता की रसीद दर्शाई गई है और पंचायत सचिव तथा पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव़ को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–116 दिनांकः 25/05/2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः अब इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्च प्राधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

17 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.90 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करना:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹3,89,778 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	वाउचर सं.	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता आई.डबल्यू.एम.पी. रोकड़ बही:—				
1	04.04.15	35	01	रेत, बजरी, पत्थर व ईंटें	22225
2	04.04.15	35	02	स्टील	6575
3	04.04.15	35	02	स्टील	4800
4	04.04.15	35	04	ईंटें	15050
5	04.04.15	35	05	रेत, बजरी, पत्थर	14000
6	01.06.15	37	10	ईंटें	35000
7	29.06.15	38	11	पत्थर	35000
8	29.06.15	38	12	पत्थर	33600
9	22.08.15	39	17	पत्थर	28000
10	22.08.15	39	18	पत्थर	21000
11	22.08.15	39	19	पत्थर	21000
	पंचायत निधि खाता 'क व ख' रोकड़ बही:—				
12	16.09.2015	118	19	पेन्ट सामग्री	12000
13	16.09.2015	118	20	स्टील	15168
14	07.11.2015	123	25	कैंची गेट व ग्रिल	47000
15	02.07.2016	144	03	पेन्टिग कार्य	5760
16	22.08.2016	147	4	पेन्टिग कार्य	7900
17	28.02.2017	09	57	दरवाजें	5050
18	31.03.2017	164	40	कुर्सी	4950
19	07.04.2017	01	01	कम्पयूटर कार्य	6700

20	07.04.2017	01	04	कुर्सी	4950
21	22.07.2017	46	5	निर्माण सामग्री	44050
				कुल योग	**₹389778**

उपरोक्त के अतिरिक्त भी भण्डार के लिए की गई अन्य खरीद के अधिकतर मामलों में जिनका मूल्य ₹3000 से अधिक है को निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के बिना ही किया गया है। उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2018/–116 दिनांकः 25/05/2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ था। अतः स्टाक स्टोर का क्रय उपरोक्त सन्दर्भित नियमों के अनुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष प्रशासनिक स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 रोकड़ बही से सीमेन्ट जारी करनाः–

पंचायत के लेखाओं की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए खरीदे गए सीमेन्ट को एम• ए• एस• (मैटीरियल ऐट साइट) रजिस्टर/सीमेंट स्टॉक रजिस्टर से सम्बन्धित कार्य को जारी करने के स्थान पर इसे पुनः रोकड़ बही की आय में लेखांकित करते हुए व्यय की तरफ से जारी करने की प्रविष्टियां की गई हैं। रोकड़ बहियों की चयनित माह हेतु जांच में पाए गए कुछ प्रकरण नीचे दी गई तालिका में उद्धृत्त किए गए हैं। सीमेन्ट के लेखांकन का यह तरीका किन लेखांकन नियमों अथवा किसके तथा किन आदेशों से अपनाया गया है, इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र•	रो.ब.पृ.	दिनांक	वाउचर सं.	बोरियां	प्रति बोरी मूल्य	कुल लागत
	पंचायत निधि खाता 'क व ख' रोकड़ बहीः–					
1	164	31.03.17	41	12	246.44	2957
2	164	31.03.17	42	09	246.44	2218
3	164	31.03.17	43	09	246.44	2218
4	165	31.03.17	44	30	246.44	7393
5	165	31.03.17	45	08	246.44	1972
6	165	31.03.17	46	08	246.44	1972
7	165	31.03.17	47	09	246.44	2218
					कुल योगः	**₹20948**

19 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप—3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखओं की जांच में पाया गया कि वर्ष 2017.18 के बाद प्राप्त अनुदान राशियों विषेशतः आर• टी• जी• एस•/ऑलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 जारी प्रमाणपत्रों के शुल्क की वसूली न करना तथा सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण/संकलन न करनाः—

पंचायत कार्यालय विवाह, जन्म व मृत्यु, परिवार, राशन कार्ड इत्यादि के लिए पंजीकरण कार्यालय के रूप में भी कार्य करता है तथा हि•प्र• पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 100 के प्रावधानों के अनुसार इनके पंजीकरण के समय पंजीकरण शुल्क तथा सम्बन्धित प्रमाणपत्र जारी करते समय प्रमाणपत्र शुल्क वसूल किया जाना अपेक्षित है जो कि पंचायत की आय का एक प्रमुख स्त्रोत है। पंचायत अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा इस मद में किसी प्रकार के शुल्क की वसूली नहीं की जा रही है। अतः इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त भविष्य हेतु सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 एकाधिक रसीद बुकों का एक साथ अनुचित प्रयोगः—

लेखांकन के सामान्य नियमों तथा सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक पंचायत में एक समय में एक ही रसीद बुक को प्रयोग में लाया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत कुलज्यार के लेखाओं की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि यहां पर निम्न विवरणानुसार अंकेक्षणावधि के दौरान एकाधिक रसीद बुकों का प्रयोग किया गया है जिनमें अंकेक्षण के समय तक बहुत सी खाली रसीदें पड़ी थीं।

क्र	रसीद बुक	प्रयुक्त की गई अन्तिम रसीद	अन्तिम दिनांक/माह	खाली पड़ी रसीदें
1	44901 से 45000	44953	09.01.2017	47
2	127401 से 127500	127426	20.04.2008	74
3	001 से 100	056	07.04.2002	44
4	44501 से 44600	44596	04.06.2013	4

5	301 से 400	330	05.08.2010	70
6	127201 से 127300	127295	06.09.2007	5
7	44601 से 44700	44685	25.05.2018	15

अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए प्रथमतयः इन खाली रसीदों का प्रयोग किया जाए तथा तदोपरान्त इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

22 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः–

रसीद बुकों के स्टॉक की जांच में पाया गया कि इसे हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अन्तर्गत रसीद बुकों के अभिलेखन के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैंः–

1. इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि•प्र• पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्राविधित फॉर्म–2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जाएगा।
2. खाली रसीद बुकें सचिव की निजि अभिरक्षा में अलमारी में ताला लगा कर रखी जाएगी।
3. नई रसीद बुक को आरम्भ करने से पूर्व प्रधान द्वारा उसमें पाई गई खाली रसीदों को प्रमाणपत्र सहित सत्यापित किया जाएगा।

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप ''4'' के अनुसार बनाए गए स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत कुलज्यार. में इस सन्दर्भ में जो अभिलेख तैयार किया गया है वह अंकेक्षण जांच के दौरान अपूर्ण पाया गया है तथा जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त सभी रसीदों का उसमें दिनांक 28.09.2012 को पृष्ठ 4 के पश्चात कोई लेखांकन नहीं किया गया है। जिस कारण से अंकेक्षणावधि के दौरान खरीदी गई तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका है तथा न ही उसकी अंकेक्षण जांच सम्भव हो पाई है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षणावधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का अनुरक्षरण न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत कुल्जयार में इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है अथवा अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

24 मस्ट्रौल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 102 (1 से 7) के प्रावधानों के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित तथा प्रमाणित मस्ट्रौल ही पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी को किसी विकास/निर्माण कार्य में मजदूरों की हाज़िरी लगाने के लिए ''मस्ट्रौल जारी करने के रजिस्टर'' में प्रविष्टि के उपरान्त जारी किए जाएंगे। इन्ही नियमों में प्रावधित है कि इन मस्ट्रौल का अभिलेखन व अनुरक्षण हि• प्र• लोक निर्माण विभाग की कार्यपद्धति के आधार पर किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत कुलज्यार द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रौलों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना आंशिक रूप में ही की गई है तथा मुख्य रूप से इन मस्ट्रौलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1. मस्ट्रौल के भाग–3 जिसमें मजदूरों द्वारा किए गए कार्य का विस्तृत विरण दर्ज किया जाता है को पंचायत द्वारा खाली रखा गया है जिस कारण मस्ट्रौल में किए गए कार्य तथा उसके विरूद्ध किए गए भुगतान को तकनीकी प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो सका है। उदाहरण हेतु अंकेक्षण जांच में पंचायत निधि खाता ''ख'' में दर्ज/भुगतान किए गए मस्ट्रौल तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थेः–

क्र	दिनांक	मस्ट्रौल क्रमांक	वाउचर सं.	रो. ब. पृष्ठ	राशि (₹)
पंचायत निधि खाता आई.डबल्यू.एम.पी. रोकड़ बहीः–					
1	01.06.2015	..	09	37	13374
2	29.06.2015	..	13	38	28872
3	29.06.2015	..	14	38	14004
4	22.08.2015	..	20	39	25410

5	22.08.2015	..	21	39	32904
6	22.08.2015	..	22	39	10686
7	24.06.2016	1	02	43	14790
8	24.06.2016	12101, 12102	03	43	35436
9	22.07.2017	3	03	46	12600
10	08.01.2018	01	09	47	36400
11	08.01.2018	06	10	47	27660
	पंचायत निधि खाता 'क व ख' रोकड़ बही:–				
12	30.07.2015	01	12	114	23160
13	11.09.2015	02	17	117	18800

2. प्रयोग किए गए मस्ट्रौलों में मात्र कार्य का शीर्षक दर्ज किया गया है। मस्ट्रौल पर रखे गए मज़दूरों से सम्बन्धित विकास/निर्माण कार्य में क्या अथवा किस प्रकार का काम करवाया गया है का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कॉलम में दर्ज नहीं किया गया है।

3. मनरेगा के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के मस्ट्रौल को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा न तो किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया है जिस कारण से भुगतान की गई राशि को किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका है।

4. मस्ट्रौल में एक–दो को छोड़कर लगभग सभी प्रावधित कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं।

इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा अनियमित भुगतान करना एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसे सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जाना:–

पंचायत सचिव़ तथा ग्राम रोजगार सहायक द्वारा मनरेगा परियोजना से सम्बन्धित प्रस्तुत सूचना व अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का निरन्तर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैं:–

1. अधूरे रोजगार कार्ड:– रोजगार कार्ड अधूरे पाए गए हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं।

2. संलग्न **परिशिष्ट '3'** पर दर्ज टिप्पणी के अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत मांगे गए रोजगार आवेदनों का सम्पूर्ण अभिलेख पंचायत द्वारा नहीं रखा गया है। यह अभिलेख मनरेगा अधिनियम के अधीन तथा योजना के अन्तर्गत किए जा रहे व्यय में पारदर्शिता हेतु रखा जाना अति आवश्यक है। परन्तु इस मूल अभिलेख के अभाव में अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों के दौरान किया गया ₹58,61,391 का समस्त व्यय तथा **परिशिष्ट ''3''** के अनुसार 27656 दिनों के लिए दिए गए रोजगार की सारी प्रक्रिया संशयपूर्ण हो जाती है।

3. सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जानाः– हिमाचल प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एस एम एस –1/2016–16–आर डी (पी आर सी) दिनांक 13–05–2016 तथा इससे पूर्व में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों का विवरण पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर में रखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सम्पत्ति रजिस्टर का पूर्ण अनुरक्षण करने के स्थान पर मात्र मनरेगा योजना के अन्तर्गत करवाए गए कार्यों का ही आधा अधूरा अभिलेखन किया गया है।

मनरेगा अभिलेख में उपरोक्त त्रुटियों का पाया जाना एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

26 भूमि सुधार के निर्माण कार्य के निष्पादन में किया गया ₹0.79 लाख का संभावित गबनः–

ग्राम पंचायत कुलज्यार के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 के अंकेक्षण के दौरान पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों की अंकेक्षण जांच के दौरान पाया गया कि मापन पुस्तिका क्रमांक 5552 के पृष्ठ 18 से 20 पर ''भूमि विकास कार्य शेर सिंह पुत्र वीरी सिंह'' की मापन प्रविष्टियां दर्ज की गई हैं। संदर्भ हेतु मापन पुस्तिका में दर्ज इस कार्य की समस्त मापन प्रविष्टियों की नकल को निम्न मूल रूप में निम्न तालिका में दिया गया है तथा मापन पुस्तिका के पृष्ठ 18 से 20 की छायाप्रति **परिशिष्ट ''4''** पर संलग्न हैः–

Copy of Record Entries in MB No. 5552 page 18-20 in r/o work "C/o Land Development for Sher Singh S/o Viri Singh".

Entry कार्य का नाम :–भूमि सुधार शेर सिंह की जमीन में

मद :– मनरेगा

स्वीकृत राशि :– 100000

1 Cutting in Earth work and disposal of excavated earth up to 20 mtr pick & jumper work

1X10X[(7.0+0.20)/2]X2=70.00 M^3

(as written in MB actually it is 72 M^3)

1X15X[(8.0+0.50)/2]X2.5=159.37 M^3

1X12X[(6.0+0.60)/2]X1.75=69.30 M^3

Total = 298.67 M^3

65% Pick Jumper work = 193.74 @ `102.30/-= **₹19819/-**

35% Soft Rock = 104.93 @ `320.35/- **₹33413/-**

(`33413/- as written in MB actually it is `33614/-)

2 Excavation in foundation trenches etc in earth work to lift up to 1.50 mtr stacking the excavated soil not more than 3 mtr etc clear from the edge of excavated earth

2X5X0.90X0.90 =12.15 M^3 @ `167.55/- **₹2035/-**

(as written in MB actually it is 8.1M^3)

3 C/o Dry rubble masonary for R. Wall & B. Wall & parfait wall etc.

Foundation: 2X5X0.90X0.90 =12.15 M^3

(as written in MB actually it is 8.1M^3)

Wall: 5.00X[(0.90+0.60)/2]X1 =3.75 M^3

Total = 15.60 M^3@ `200.45/-

(`4690/- as written in MB actually it is `3127/-) **₹4690/-**

Grand Total:- **₹59957/-**

(`59957/- as written in MB actually it is `57716/-)

Less: 20% Contractor Profit **₹11991/-**

₹47716/-

Add: 38% Labour Enhancement (Premium) **₹18151/-**

Net Total (for Assessment): **₹65917/-**

Detail of Actual Payments against this work:

1. Mustroll no. 4376 for `**8280/-**
2. Mustroll no. 4503 for `**8280/-**
3. Mustroll no. 4790 for `**14214/-**
4. Mustroll no. 5235 for `**12420/-**
5. Mustroll no. 5642 for `**22080/-**
6. Cost of Material : Stone 14 M^3 @ `1000/- total `14000/-

Total for Actual Payments: **₹79274/-**

उपरोक्त मापन प्रविष्टियों की जांच तथा अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैंः—

i. क्रमांक 1 पर दर्ज मिट्टी खुदाई की प्रविष्टि से स्पष्ट होता है कि तैयार किए गए खेत की कुल लम्बाई 37 मीटर (10+15+12), चौड़ाई 2.0, 2.5 तथा 1.75 मीटर तथा ऊँचाई पिछली तरफ 7.0, 8.0 व 6.0 मीटर तथा अगली तरफ 0.20, 0.50 व 0. 60 मीटर दर्शाई गई है जिसके आधार पर कुल 298.67 वर्गमीटर खुदाई की गई है। इसमें से (65%) 193.74 वर्गमीटर पिक एण्ड जम्पर खुदाई (Pick & Jumper Work) व (35%) 104.93 वर्गमीटर नर्म पत्थरीली/चट्टानी भूमि (Soft Rock) की खुदाई दर्शाई गई है।

ii. क्रमांक 2 पर दर्ज नींव की खुदाई की प्रविष्टि से स्पष्ट है कि इसमें दो तरफ सुरक्षा दीवार लगाने हेतु 2×(5×0.90×0.90) कुल 12.15 वर्गमीटर खुदाई की गई है।

iii. क्रमांक 3 की प्रविष्टि से स्पष्ट है कि पत्थरों की सूखी चिनाई (Dry Rubble Masonry) के साथ खेत में एक तरफ सुरक्षा दीवार लगाई गई है जिसकी प्रमात्रा 15.60 वर्गमीटर है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित अंकेक्षण आपत्तियां दर्ज की गई हैंः—

1. इस प्रविष्टि को यदि तकनीकी नजर से देखा जाए तो दिए गए माप से 8 मीटर की ऊँचाई से मिट्टी को काटकर बनाए गए खेत की अन्त अधिकतम चौड़ाई मात्र 2.5 मीटर बनती है। इस 2.5 मीटर में भी 1 मीटर चौड़ाई की सुरक्षा दीवार लगाए जाने के पश्चात वास्तव में अन्त में जुताई योग्य खेत की अधिकतम चौड़ाई मात्र 1.5 मीटर ही बचती है। जबकि पंचायत द्वारा नरेगा तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत बनाए जा रहे रास्ते भी कम से कम 3.0 मीटर चौड़ई के होते हैं। अतः दिए गए मापन का खेत न तो तकनीकी रूप से संभव है और न ही व्यवहारिक रूप से लाभदायक है।
2. 104.93 वर्गमीटर नर्म पत्थरीली/चट्टानी भूमि (Soft Rock) की खुदाई किए जाने बावजूद भी 14 वर्गमीटर पत्थर की खरीद हेतु ₹1000 प्रति वर्गमीटर की दर से ₹14000 का भुगतान किया गया है जो कि किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं है।
3. इन तथ्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में धरातल पर इस कार्य का निष्पादन हुआ ही नहीं है। अतः यह प्रकरण पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में विशेष रूप से लाया जाता है तथा सुझाव दिया जाता है कि इसकी विस्तृत विभागीय जांच करके तथ्य सामने लाए जाएं और अनियमितता पाए जाने पर इस ₹79274 के संभावित गवन की राशि की वसूली करते हुए

यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

27 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों तथा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्य अभिलेख की नमूना अंकेक्षण जांच उपरान्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1. ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी/संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के ''**परिशिष्ट – ई**'' में दिए गए ''अनुबन्ध'' प्रारूप के अनुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।
2. इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों में कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य का तकनीकी विवरण भी दर्ज नहीं किया गया है।
3. हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की अंकेक्षण जांच में दिक्कतें आई हैं। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।
4. हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की जांच

सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में ऐसी किसी भी जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पष्टतयः सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यप्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरूद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

5. निर्माण कार्यों में उपयोग की गई सामग्री के लिए ''निर्माण सामग्री उपभोग विवरणि'' तैयार नहीं की गई हैं। यह विवरणी नियमानुसार कार्य प्रमात्रा के आधार पर आवश्यक सामग्री तथा वास्तविक उपभोग की गई सामग्री की जांच हेतु अति आवश्यक है। इसके अभाव में निर्माण कार्यों के बिलों की अंकेक्षण जाँच में दिक्कत आई है तथा समय की अनावश्यक बर्बादी हुई है। अतः इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव नियमानुसार न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 8 के नियम 66 से 73 तक में पंचायत द्वारा खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में प्रावधित नियमों तथा सरकार द्वारा समय—समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग—अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत कुलज्यार द्वारा स्टॉक रजिस्टरों का अनुरक्षण तो किया गया है परन्तु इनमें उपरोक्त नियमानुसार पूर्ण जानकारी दर्ज नहीं की गई है। स्थाई सामग्री के स्टॉक रजिस्टर में भी वस्तु के मूल्य, आपूर्तीकर्ता तथा उसके बिल व वारँटी इत्यादि को दर्ज नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु खरीदी गई

सामग्री का लेखांकन करते समय हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 11 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है।

29 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

30 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	––	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	चौकीदार को जारी की जाने वाली वर्दी का रजिस्टर	––	––

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

31 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

32 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(xii) 30/2018 खण्ड–1–5330–5333 दिनांक 07.08. 2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत कुलज्यार, विकास खण्ड झण्डुता, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश पिन–174030 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कुसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर जिला बिलासपुर, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड झण्डुता, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर हि0प्र0।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046